रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2009/कार्तिक 12, 1931 [रा.रा.रा.क्षेत्र सं. 217
No. 170] DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2009/KARTIKA 12, 1931 [N.C.T.D. No. 217

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2009

सं. फा. 119/पीसीओ/एसटीए/2009/378.—इसके द्वारा पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए एवं मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कथित उप-धारा (1) के खण्ड (डी) से सम्बन्ध रखते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली को निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं, अर्थात् :—

1. सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्टेज कैरिज बसों के परिचालकों द्वारा लिया जाने वाला किराया निम्न प्रकार होगा :—

(ए) साधारण स्टेज कैरिज बसें:—

दूरी	किराया
3 किलोमीटर तक	रु. 5.00
3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक	रु. 10.00
10 किलोमीटर से अधिक	रु. 15.00

प्राइवेट स्टेज कैरिज (ब्लू लाइन) बसें निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही उपरोक्त किराया वसूल करेंगी :—

(i) यात्री सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्राइवेट स्टेज कैरिज (ब्लू लाइन) बसों द्वारा प्रति माह/प्रति बस रु. 10,000 की दर से और आरटीवी/हल्के एवं मध्यम यात्री वाहनों द्वारा प्रति मास/प्रति बस रु. 2,400 कम्पोजिट शुल्क का भुगतान दिल्ली परिवहन निगम को किया जायेगा ।

(ii) विकलांगों, स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध में शहीदों की विधवाओं एवं उनके आश्रितों को दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जारी किये गए रियायती पासों को मान्यता दी जायेगी।

(बी) वातानुकूलित स्टेज कैरिज बसें:—

दूरी	किराया
4 किलोमीटर तक	रु. 10.00
4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक	रु. 15.00
8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक	रु. 20.00
12 किलोमीटर से अधिक एवं लिमिटेड/रात्रि सेवा	रु. 25.00

(सी) स्टेज कैरिज—मैट्रो फ़ीडर बस दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) की बसें एवं उसके द्वारा परिचालित:—

दूरी	किराया
8 किलोमीटर तक	रु. 7.00
8 किलोमीटर से अधिक	रु. 10.00

उपरोक्त किराया यात्री सुविधाओं का उपयोग करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम को रु. 2,400 प्रति मास/प्रति बस के कम्पोजिट शुल्क का भुगतान करने की शर्त के अधीन वसूलनीय होगा ।

(डी) स्कूल सेवाओं सहित दि.प.नि. बसों को किराये पर लेने के लिए किराया :—

श्रेणी	दर (रु. प्रति कि. मी.)
मानक (स्टैन्डर्ड)	40
लो-फ्लोर गैर-वातानुकूलित	60
लो-फ्लोर वातानुकूलित	75

(ई) पासों का किराया:-

श्रेणी		किराया (रु. में)
सामान्य	800	(गैर-वातानुकूलित),
	1000	(वातानुकूलित)
प्रेस	100	(गैर-वातानुकूलित),
	200	(वातानुकूलित)
वरिष्ठ नागरिक	250*	(गैर-वातानुकूलित),
	350**	(वातानुकूलित)
स्कूल छात्र (सरकारी/नगर निगम)	100	(गैर-वातानुकूलित),
कालेज छात्र एवं अन्य स्कूल	100	(गैर-वातानुकूलित)
स्वतंत्रता सेनानी, विकलांग, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, युद्ध शहीदों की विधवाएं, एमएलए आदि ।	नि:शुल्क	

*रु. 200 का भुगतान सरकार करेगी तथा रु. 50 वरिष्ठ नागरिक द्वारा ।

**रु. 200 का भुगतान सरकार करेगी तथा रु. 150 वरिष्ठ नागरिक द्वारा ।

(एफ) विभिन्न दूरियों के लिए पास

श्रेणी	दरें (रु. में)	
	साधारण	वातानुकूलित
दैनिक	40	50
साप्ताहिक	280	350
पाक्षिक	560	700
मासिक	800	1000
त्रैमासिक	2280	2850
अर्द्ध-वार्षिक	4440	5550
वार्षिक	8640	10800

(जी) बिना टिकट यात्रियों पर कम्पोजिट जुर्माना रु. 200:-

2. दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 75 के उप-नियम (2) के खंड (1) के आधार पर और वर्तमान बस क्यू शेल्टरों (बस स्टेंडों) की स्थिति, चौराहों, यातायात बत्तियों, फ्लाई ओवर, सब-वे, महत्वपूर्ण भवनों, सुरक्षा कारणों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों और ऊपर पैरा 1(ए), 1(बी), 1(सी) में तथा निर्धारित किराए एवं दूरी अनुपात के मामले में यात्रियों को चढ़ाना और उतारना स्टेज कैरिज के कर्मियों के लिए संभव नहीं होगा । अत: स्टेज कैरिज कर्मी एवं परमिट धारक दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 58 के प्रावधानों को ऊपर पैरा 1(ए), 1(बी), 1(सी) में यथा उल्लिखित किराया दूरी अनुपात को लागू करना सुनिश्चित करेंगे । दूसरे शब्दों में अब से सभी स्टेज कैरिज (दिल्ली परिवहन निगम, डीएमआरसी एवं निजी परिचालक) राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित रूट सम्बंधी किराया स्टेज के आधार पर किराया लेंगे ।

3. स्टेज कैरिज, दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 58 में यथा उल्लिखित रूट योजना तथा किराया योजना को अपने साथ लेकर चलेंगे और किराया तालिका स्टेज कैरिज के अंदर प्रवेश द्वार और निकास द्वार के निकट स्थायी रूप से प्रदर्शित करेंगे । किराया तालिका साफ एवं स्वच्छ रूप से समतल स्थान पर साफ-सुथरे ढंग से पेंट की जायेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के नाम से एवं आदेश से,
आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd November, 2009

No. F. 119/PCO/STA/2009/378.—In partial modification of earlier notification in this behalf and exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, having regard to clause (d) of the said sub-section (1) hereby issues the following directions to the State Transport Authority of Delhi, namely :—

1. From the date of publication of the notification in the Official Gazette, the fares chargeable by the operators of stage carriages buses in the National Capital Territory of Delhi, shall be as follows :—

(a) Ordinary Stage Carriage Buses :—

Distance	Fare
Up to 3 kilometers	Rs. 5.00
From 3 kilometers to 10 kilometers	Rs. 10.00
Above 10 kilometers	Rs. 15.00

In case of private stage carriage (blue line) buses, the above fares will be chargeable subject to the following conditions :—

(i) Payment of composite fee @ Rs. 10,000 per month/ per bus by the private stage carriage (blue line) buses and Rs. 2,400 per month/per bus by RTVs/light and medium passenger motor vehicles to DTC for use of passenger facilities.

(ii) Honouring the concessional passes issued by Delhi Transport Corporation to disabled persons, freedom fighters, war-widows and their dependents.

(b) Air-conditioned Stage carriage Buses:—

Distance	Fare
Up to 4 kilometers	Rs. 10.00
From 4 kilometers to 8 kilometers	Rs. 15.00
From 8 kilometers to 12 kilometers	Rs. 20.00
Above 12 kilometers & Limited/ Night Services	Rs. 25.00

(c) Stage Carriages—Metro Feeder Bus owned and operated by Delhi Metro Corporation (DMRC) :—

Distance	Fare
Up to 8 kilometers	Rs. 7.00
Above 8 kilometers	Rs. 10.00

The above fares will be chargeable subject to payment of composite fees of Rs. 2,400 per month/per bus to DTC for use of passenger facilities.

(d) Fare for hiring DTC buses including School services :—

Category	Rate (Rs. per Km.)
Standard	40
Low Floor Non-AC	60
Low Floor AC	75

(e) Fare for Passes :—

Category	Fare (in Rs.)
General	800 (Non-AC), 1000 (AC)
Press	100 (Non-AC), 200 (AC)
Senior Citizen	250* (Non-AC), 350** (AC)
School Student (Govt./Municipal)	100 (Non-A/C)
College Student & other Schools	100 (Non-AC)
Freedom fighters, Disabled, National Award Winners, War-widows, MLAs etc.	Free

*Rs. 200 would be paid by the Government and Rs. 50 by the Senior Citizen.

**Rs. 200 would be paid by the Government and Rs. 150 by the Senior Citizen.

(f) Passes for Different Durations :—

Category	Rates (in Rs.)	
	Ordinary	AC
Daily	40	50
Weekly	280	350
Fortnightly	560	700
Monthly	800	1000
Quarterly	2280	2850
Half Yearly	4440	5550
Yearly	8640	10800

(g) Composite fine from Ticketless travelers Rs. 200.

2. By virtue of clause (i) of sub-rule (2) of rule 75 of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, and the position of existing bus queue shelters (Bus Stands) and different road condition such as, cross sections, traffic lights, flyovers, sub-ways, important building, security reasons and other related issues, it would not be feasible for the crew of the stage carriage to take up or get down passengers exactly in terms of fare and distance combination as stipulated in Para 1(a), 1(b) and 1(c) above, therefore, the crew of the stage carriages and the permit holder shall ensure that the provisions of rule 58 of Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, shall be made applicable to implement the fare distance combination as referred above in Para 1(a), 1(b) and 1(c). In other words, all the stage carriages (owned by the DTC, DMRC and Private Operators) shall, henceforth, charge fares on the basis of fare stages of route, as approved by the State Transport Authority.

3. The route plan and the fare table as referred in rule 58 of the Delhi Motor Vehicle Rules, 1993, shall be carried by the stage carriages and the fare table shall be displayed permanently inside stage carriages near entrance and exit gate. The fare table shall be painted on a plain surface in neat and clean manner.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.